उत्तराखण्ड सरकार
चिकित्सा अनुभाग –2
संख्याः 115 / चि–2–2003–567 / 2001
देहरादून : दिनांक 28 अप्रैल , 2003

अधिसूचना
प्रकीर्ण

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम , 1969 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–18 वर्ष 1969) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय जन्म–मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रख्यापित केन्द्रीय आदर्श जन्म–मृत्यु पंजीकरण नियमावली , 1969 उत्तराखण्ड में अधिनियम के प्रवर्तन हेतु अंगीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं , जो निम्नवत् होंगी ।

आदर्श जन्म–मृत्यु पंजीकरण नियमावली उत्तराखण्ड , 2003

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम , 1969 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–18 वर्ष 1969) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार उत्तराखण्ड , भारत सरकार द्वारा निर्गत आदर्श नियमावली 1999 को जन्म – मृत्यु पंजीकरण हेतु अंगीकृत करती है जो निम्नवत होगी –

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ **1** (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड जन्म –मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2003 कहलायेगी ।

(2) इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा । नियमावली के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से , इससे पूर्व की जन्म मृत्यु पंजीकरण के सम्बन्ध में बनी या लागू नियमावली स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी एवम् इस नियमावली के नियमों के क्रम में किया गया कोई भी परिवर्तन अधिसूचित कर लागू की जा सकेगी ।

परिभाषायें **2** इस नियमावली में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अधिनियम ''का तात्पर्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम , 1969 से होगा ।

(ख) '' प्रपत्र '' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से होगा ।

(ग) '' धारा का तात्पर्य अधिनियम की धारा से होगा ।

गर्भावधि काल	**3**	धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लियेम गर्भावधि अटठाईस सप्ताह होगी ।
धारा 4(4) के अधीन रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना	**4**	धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्रपत्र संख्या– 1 में तैयार की जायेगी और धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सांख्यिकीय रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष मुख्य रजिस्ट्रार (मुख्य निवन्धक) द्वारा उस वर्ष के जिससे रिपोर्ट सम्बन्धित हो , अनुवर्ती वर्ष की 31 जुलाई तक राजय सरकार की प्रस्तुत की जायेगी ।
प्रपत्र इत्यादि जिसमें जन्म – मृत्यु की सूचनायें दी जायेंगी	**5**	(1) सूचनायें जो रजिस्ट्रार (निवन्धक) को धारा 8 या धारा 9 में दी जानी होगी को क्रमशः प्रपत्र 1 , 2 , 3 में जन्म , मृत्यु एवम् मृत जन्म से सम्बन्धित होंगी , एतद् पश्चात् सामुहिक रूप से सूचना कहलायेगी । सूचना यदि मौखिक हो , तो निवन्धक द्वारा उसकी उचित सूचना प्रपत्र पर अंकित कर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लिया जायेगा । (2) सूचना प्रपत्र के वे भाग जिनमें विधि सम्बन्धी सूचना होगी को '' विधिक भाग '' एवम् वे भाग जिसमें सांख्यिकीय सूचना होगी को '' सांख्यिकीय भाग '' कहा जायेगा । (3) सूचना जो उपनियम (1) द्वारा जन्म , मृत्यु , मृत जन्म के संदर्भ में वांछित है , घटना के 21 दिन के अन्दर दी जानी होगी ।
किसी वाहन में जन्म अथवा मृत्यु की सूचना	**6**	(1) किसी सचल वाहन में जन्म अथवा मृत्यु होने के सम्बन्ध में गाड़ी प्रभारी ब्यक्ति रूकने के प्रथम स्थान पर धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सूचना देगा अथवा दिलवायेगा । **<u>स्पठीकरण</u> :** इस नियम के प्रयोजनार्थ सचल गाड़ी का तात्पर्य थल , नभ अथवा जल में प्रयुक्त किसी भी प्रकार की सवारी से है तथा इसके अन्तर्गत वायुयान , रेलगाड़ी मोटरकार , मोटर साइकिल , तांगा , रिक्सा भी है । (2) ऐसी मृत्यु की दशा में '' *जो धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड* (क) *से खण्ड* (ङ) *तक के अन्तर्गत नहीं आती है* '' जिसमें मृत्यु की समीक्षा की जाय , मृत्यु

समीक्षा करने वाला अधिकारी धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सूचना देगा अथवा सूचना दिलवायेगा ।

धारा 10(3) के अधीन प्रमाण का प्रपत्र **7** धारा 10 की उपधारा (3) के अपेक्षानुसार मृत्यु के कारण का प्रमाण– पत्र प्रपत्र संख्या–4 अथवा 4ए में जारी किया जायेगा , निवन्धक आवश्यक पंजिका में प्रविष्टियॉ करने के उपरान्त उन सभी प्रमाण – पत्रों को मुख्य निवन्धक अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ठ अधिकारी को जिस माह से प्रमाण –पत्र सम्बन्धित हो , ठीक अनुवर्ती मास के दसवें दिनांक तक अग्रसारित कर देगा ।

धारा 12 के अधीन पंजीकरण की प्रविष्ठियों के उद्धरण का दिया जाना **8** (1) धारा 12 के अधीन सूचना देने वाले प्रविष्टियों का ब्यौरा व्यक्तियों के जन्म अथवा मृत्यु से सम्बन्धित रजिस्टर से दी जाने वाली प्रविष्टियों के ब्यौरे का उद्धरण यथा स्थिति प्रपत्र संख्या 5 अथवा प्रपत्र संख्या– 6 में जैसा हो दी जायेगी ।

(2) निवास व गृह सम्बन्धी जन्म , मृत्यु की सूचना धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सीधे जन्म –मृत्यु निवन्धक को घर के मुखिया या संस्थान के मुखिया व उसकी अनुपस्थिति में नजदीकी रिस्तेदार या सबसे बड़े बयस्क द्वारा दी जायेगी व नजदीकी रिस्तेदार व घर के मुखिया द्वारा तीस (30) दिन के अन्दर निवन्धक से जन्म अथवा मृत्यु के ब्यौरे का उद्धरण प्राप्त करेगा ।

(3) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत अथवा राज्य सरकार द्वारा उपधारा (2) द्वारा निर्दिष्ठ किये गये ब्यक्ति जिनके द्वारा गृह सम्बन्धी , निवासीय जन्म , मृत्यु की सूचना दी गई हो का दायित्व होगा कि वह निवन्धक द्वारा प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के तीस दिन के भीतर सम्बन्धित परिवार के मुखिया या नजदीकी रिश्तेदार को उपलब्ध करायेगा ।

(4) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (डं) तक संस्थाओं में हुये जन्म , मृत्यु जो उनके द्वारा पंजीकृत कराये जाते हैं की सूचना नवजात व मृतक ब्यक्ति के रिश्तेदार द्वारा संस्था के मुखिया से घटना के तीस दिन के अन्दर उस पंजीकरण का उद्धरण प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकता है ।

(5) यदि जन्म , मृत्यु के ब्यौरे के उद्धरण का

प्रमाण–पत्र समय सीमा जैसा उप नियम (2) से (4) द्वारा वांछित है , सम्बन्धित ब्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तो निवन्धक , अथवा निर्दिष्ठ अधिकारी अथवा संस्थाकर्ता मुखिया जैसा उपनियम (4) द्वारा वर्णित है तो भी प्रयोज्य हो उपरोक्त समय सीमा खत्म होने के 15 दिन के भीतर डाक द्वारा सम्बन्धित परिवार को भेजेगा ।

विलम्बित पंजीकरण के लिये प्राधिकारी और उसके लिये देय फीस **9** (1) जन्म मृत्यु सम्बन्धी जो सूचना निवन्धक को नियम –5 द्वारा निर्धारित समय सीमा के वाद परन्तु घटना के तीस दिन के भीतर दी जाय तो रू0 2/– (दो रू0 मात्र) विलम्ब शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त होगा ।

(2) जन्म मृत्यु सम्बन्धी सूचना आदि निवन्धक को तीस दिन के वाद किन्तु घटना के सालभर के अन्दर दी जाती है तो पंजीकरण इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सम्बन्धित तहसीलदार एवं शहरी क्षेत्रों के लिये सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी के लिखित आदेश पर पांच रू0 विलम्ब शुल्क जमा किये जाने के बाद ही पंजीकृत की जायेगी ।

(3) यदि किसी जन्म एवं मृत्यु की घटना को सालभर बाद भी पंजीकृत न कराया गया हो तो इस स्थिति में पंजीकरण , उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर कि पंजीकरण प्रथम बार कराया जा रहा है तथा विलम्ब से पंजीकरण कराने में कोई धोखाधड़ी की मंशा नहीं है एवं उनके लिखित आदेश पर तथा रू0 10.00 विलम्ब शुल्क जमा किये जाने पर की जायेगी । लिखित आदेश देने से पूर्व उप जिलाधिकारी द्वारा घटना की शुद्धता का सत्यापन अपेक्षित है ।

धारा–14 के प्रयोजनार्थ अवधि **10** (1) जहॉ शिशु का जन्म नाम के विना पंजीकृत किया गया हो , वहॉ ऐसे शिशु के माता–पिता या संरक्षक , शिशु के जन्म के पंजीकरण के दिनांक से बारह मास के भीतर निवन्धक को शिशु के नाम की सूचना मौखिक या लिखित रूप से देंगे ।

परन्तु सूचना 12 महीने के उपरान्त परन्तु 15 वर्ष के भीतर दी जाती है तो उसकी गणना निम्न प्रकार की जायेगी :–

(1) उस स्थिति में जब पंजीकरण , जन्म –मृत्यु पंजीकरण नियमावली के लागू किये जाने की पूर्व की हो अथवा

(2) उस स्थिति में जब पंजीकरण जन्म–मृत्यु पंजीकरण नियमावली के लागू होने के बाद की जो तो पंजीकरण के उस दिनांक से जो धारा 23 के उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त हो , निवन्धक निम्नवत करेगा :–

(क) यदि पंजिका उसके पास अनुरक्षित है , जन्म पंजिका में सम्बन्धित प्रपत्र के प्रासंगिक स्तम्भ में , पांच रू0 विलम्ब शुल्क दिने जानेक के उपरान्त नाम की प्रविष्ठि करेगा ।

(ख) यदि पंजिका उसके पास नहीं है तथा सूचना उसे मौखिक रूप से दी गई हो तो वो सारे तथ्यों को इंगित करते हुये एक आख्या तैयार करेगा एवं यदि उसको सूचना लिखित में दी गई हो तो वह ऐसी सूचना रू0 5. 00 (पांच रू0) के विलम्ब शुल्क के भुगतान पर आवश्यक प्रविष्ठि करने के लिये जिला रजिस्ट्रार को अग्रसारित करेगा ।

(3) माता–पिता अथवा अभिभावक जैसी स्थिति हो, निवन्धक को उसे दी गई धारा 12 के अन्तर्गत '' ब्यौरे का उद्धरण '' अथवा धारा 12 के अन्तर्गत उसको उपलब्ध कराई गयी सत्यापित प्रविष्ठि के ब्यौरे का उद्धरण प्रस्तुत करेगा एवम् जिसके आधार पर निबन्धक आवश्यक बच्चे के नाम सम्बन्धी पृष्ठांकन करगा जैसा उपनियम (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रस्तावित है ।

जन्म मृत्यु पंजिका में किसी प्रविष्ठि को काटना एवं शुद्ध करना

11 (1) यदि निबन्धक को यह सूचना प्राप्त हो कि पंजिका की प्रविष्ठि में लेखन सम्बन्धी अथवा कोई प्रासंगिक गलती हो गई है या गलती उसके द्वारा देखी जाती है , यदि वह सन्तुष्ठ हो कि गलती हो गई है तो वह गलती को धारा 15 के प्राविधानों के अन्तर्गत (सुधार कर अथवा निरस्त कर) सुधार करेगा तथा उस गलती की एवं उसके सुधारने के उपरान्त बनी प्रविष्ठि के उद्धरण को जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा ।

(2) यदि स्थिति उपनियम (1) में जैसा प्रदत्त है एवं पंजिका निबन्धक के अनुरक्षण में नही हो तो निबन्धक जिला रजिस्ट्रार को सूचित करेगा व आवश्यक पंजिका को मांगकर , आवश्यक जॉच कर यह सन्तुष्ठ होने के उपरान्त कि संदर्भित गलती हुई है को सुधार कर आवश्यक संशोधन अंकित करेगा ।

(3) रजिस्ट्रार से रजिस्टर प्राप्त होने पर जिला रजिस्ट्रार उपनियम (2) में यथा उल्लिखित ऐसी ठीक

की गई त्रुटि पर प्रति हस्ताक्षर करेगा ।

(4) यदि कोई ब्यक्ति जन्म–मृत्यु पंजीकरण पंजिका में सबूत के आधार पर किसी प्रविष्ठि को तथ्यों के विपरीत सिद्ध कर दिखाता है तो निबन्धक उस प्रविष्ठि को धारा 15 के प्राविधानों के अनुरूप उस ब्यक्ति से तथ्य सम्बन्धी एक घोषणा पत्र प्राप्त कर तथा तथ्य के जानकार दो प्रतिष्ठित ब्यक्तियों के साक्ष्य में प्रविष्ठि सम्बन्धी तथ्य को सही करेंगे ।

(5) उपनियम (1) तथा उपनियम (4) में निहित किसी बात के होते हुये भी निवन्धक उन सभी सुधारों की विस्तृत सूचना जिला रजिस्ट्रार को देगा ।

(6) यदि किसी स्थिति में निवन्धक जांचोपरान्त अपनी सन्तुष्ठि के आधार पर यह सिद्ध पाते हैं कि जन्म मृत्यु पंजिका में कोई प्रविष्ठि कपटपूर्ण या अनुचित तरीके से की गई है तो वह इस तथ्य की जॉच आख्या संदर्भ सहित निर्दिष्ठ अधिकारी जिसे मुख्य निवन्धक द्वारा धारा 25 के प्राविधानों के अन्तर्गत इस हेतु नियुक्त किया गया हो को भेजेंगे एवं उससे निर्देश प्राप्ति उपरान्त प्रकरण पर उचित कार्यवाही करेंगे ।

(7) प्रत्येक दशा में जहॉ इस नियमों के तहत प्रविष्ठि शुद्ध अथवा निरस्त की गई हो , की सूचना धारा 8 एवं 9 में प्रदत्त प्राविधानों के अनुपालन में सूचना देने वाले ब्यक्ति के स्थाई पते पर भेजी जायेगी ।

धारा 16 के अन्तर्गत पंजिका का प्रारूप

12 रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् प्रपत्र 1 , 2 एवं 3 के विधिक भाग से जन्म पंजिका ,मृत्यु पंजिका एवं मृत जन्म पंजिका के क्रमशः प्रारूप संख्या– 7 , 8 एवं 9 बनेगें ।

धारा 17 के अधीन संदेय फीस और डाक ब्यय

13 (1) धारा 17 के अधीन की जाने वाली किसी तलाशी जारी किये जाने वाले किसी उद्धरण अथवा किसी सूचना के अप्राप्य होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र हेतु निम्न फीस देय होगी :–

(क) प्रथम वर्ष में रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् किसी एकल प्रविष्ठि की तलासी के लिये रू0 2.00 ।

(ख) प्रत्येक वर्ष के लिये जिसके निमित्त तलाश की जाये रू0 2.00

(ग) प्रत्येक जन्म , मृत्यु से सम्बन्धित उद्धरण दिये जाने के लिये रू0 5.00

(घ) जन्म अथवा मृत्यु के अप्राप्य प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के लिये रू0 2.00

(2) जन्म , मृत्यु से सम्बन्धी ऐसे उद्धरण निबन्धक द्वारा

राज्य सरकार द्वारा या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रपत्र संख्या–5 अथवा प्रपत्र संख्या–6 पर जैसा वांछित हो , भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (अधिनियम संख्या– 1 सन् 1872) की धारा 76 के प्राविधानों के अनुरूप प्रमाणित किया जायेगा ।

(3) यदि कोई जन्म या मृत्यु का ब्यौरा पंजीकृत नहीं पाया जाता है तो निबन्धक प्रपत्र संख्या–10 में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(4) कोई ऐसा उद्धरण अथवा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र मांगने वाले ब्यक्ति को डाक द्वारा महसूल की अदायगी पर भेजा जाना होगा ।

धारा 19 (1) के अधीन अन्तराल और कालिक विवरणियों के प्रपत्र

14 (1) प्रत्येक निबन्धक पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त समस्त रिपोर्ट प्रपत्र के सांख्यिकीय भाग को जिसमें माह का पूर्ण ब्यौरा तथा प्रपत्र संख्या– 11 पर मासिक रिपोर्ट जन्म , प्रपत्र संख्या–12 पर मासिक रिपोर्ट मृत्यु तथा प्रपत्र संख्या –13 पर मासिक रिपोर्ट मृत जन्म का सारांश मुख्य निबन्धक अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ठ अधिकारी को अनुवर्ती माह के 5 तारिख से पूर्व भेजेगा ।

(2) निर्दिष्ट अधिकारी उस रिपोर्टिंग प्रपत्र से मिली समस्त सांख्यिकीय भाग सम्बन्धी सयूचना विलम्बतम प्रत्येक माह के 15 तारीख तक मुख्य निबन्धक को भेजेगा ।

धारा 19(2) के अधीन सांख्यिकीय रिपोर्ट

15 धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन सांख्यिकीय रिपोर्ट के विहित स्तम्भों के प्रपत्र जो नियमों से संलग्न होंगे और प्रत्येक वर्ष के लिये उसके ठीक अनुवर्ती वर्ष की 31 जुलाई के पूर्व संकिलित की जायेगी और उसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी दशा में उस दिनांक से पांच मास के भीतर प्रकाशित की जायेगी ।

अपराधों के प्रशमन की शर्तें

16 (1) धारा 23 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन इस अधिनियम के अधीन फौजदारी वाद दायर किये जाने से पूर्व , उस अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे मुख्य निवन्धक ने इस हेतु किसी विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो एवं वह अधिकारी सन्तुष्ठ हो कि अपराध बगैर किसी उदृदेश्य के चूक होने के कारण प्रथम बार किया गया है ।

)2) किसी ऐसे अपराध का प्रशमन ऐसी धनराशि का जो धारा 23 की उपधारा (1) , (2) और (3) के अपराधों के लिये पचास रूपये से और उपधारा (4) के अधीन

अपराधों के लिये दस रूपये से अधिक न हो , जिसे उक्त अधिकारी उचित समझे , भुगतान करने पर किया जा सकता है ।

धारा 30(2)(ट) के अधीन पंजिका तथा अन्य अभिलेख

17 (1) जन्म पंजिका , मृत्यु पंजिका , मृत जन्म पंजिका स्थाई महत्व का अभिलेख होगा और इसे नष्ट नही किया जा सकेगा ।

(2) अधिनियम के धारा 13 के अन्तर्गत पंजीकरण करने हेतु निबन्धक को प्राप्त आदेश व न्यायालय का आदेश जन्म पंजिका के अभिन्न भाग होंगे एवं उन्हे नष्ट नही किया जा सकेगा ।

(3) निबन्धक अथवा उसके द्वारा प्राधिकारी द्वारा धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र को पांच वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा

(4) प्रत्येक जन्म पंजिका , मृत्यु पंजिका , मृत जन्म पंजिका उस कलेण्डर वर्ष ककी जिससे वह सम्बन्धित हो के समाप्ति के 12 माह की अवधि के लिये निबन्धक द्वारा अपने कब्जे में रखा जायेगा , तत्पश्चात् वह जिला रजिस्ट्रार के सुरिक्षित अभिरक्षा निमित्त हस्तान्तरित कर दिया जायेगा ।

सचिव / मुख्य
रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)
उत्तराखण्ड सरकार

प्रेषक ,

महानिदेशक / अपर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु)
उत्तराखण्ड, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ,
चन्द्रनगर देहरादून ।

सेवा में ,

निदेशक ,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC),
उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून ।

संख्याः– 22प / जन्म मृत्यु / 10 / 2004 / दिनांक नवम्बर 2009

विषय :– **जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1969 के अन्तर्गत बने राज्य नियम 'उतराखण्ड जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2003 'का राज्य की वेवसाइट पर उपलब्ध कराने सम्बन्धित ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय , गृह मंत्रालय भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 11 / 2 / 2006–जीवनांक (सीआरएस) दिनांक 16–10–2009 के द्वारा अवगत कराया है कि जन्म मृत्यु अधिनियम , 1969 को अपने कार्यालय की वेबसाइट www.censusindia.nic.in पर जनता की सुविधा हेतु उपलब्ध कराया हुआ है , जिसमें जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी दी गई है ।

इसी क्रम में उन्होने निर्देशित किया है कि सामान्य जनता के लाभ के लिये प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत बने अपने राज्य नियम को राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध करायें ।

अतः भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के निर्देशानुसार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1969 के अन्तर्गत बने राज्य नियम 'उतराखण्ड जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2003 की **हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी** आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त नियमावली 2003 को राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की कृपा करें , ताकि भारत सरकार को तदनुसार सूचित किया जा सके ।

संलग्न :– **उत्तराखण्ड जन्म मृत्यु नियमावली 2003**
की हार्ड एवं साफ्ट कापी ।

भवदीय

(सी0पी0आर्य)
महानिदेशक।